



2026:AHC:32374

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या 2167 सन् 2026

जय देवी एवं 54 अन्य

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्री प्रकाश उपाध्याय

प्रत्यर्था के अधिवक्ता: मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश उपाध्याय और राज्य प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा को सुना गया।
2. विपक्षी के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से कहा है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2008 में जारी विज्ञापन के अनुसार सफाई कर्मियों के पद के लिए आवेदन किया था और उनका दावा है कि उनका चयन हो गया है, हालांकि, 01.07.2025 को जिला मजिस्ट्रेट, भदोही ने प्रधान सचिव पंचायत राज को जिला भदोही में सफाई कर्मियों की तैनाती के संबंध में एक पत्र जारी किया था। उत्तर प्रदेश के निदेशक पंचायत राज, लखनऊ ने भी 25.08.2025 को क्षेत्रीय उप निदेशक पंचायत राज को जिला भदोही में सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में बैठक के लिए पत्र भेजा था। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि प्रत्यर्था संख्या 2 ने प्रत्यर्था संख्या 1 को 05.08.2025 को सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में पत्र भेजा है और पंचायत राज निदेशक, लखनऊ ने 18.09.2025 को विभिन्न जिलों के जिला पंचायती राज अधिकारियों को एक आदेश/निर्देश पत्र जारी किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 18.09.2025 का यह पत्र स्वयं अवैध है, विशेष रूप से तब जब भदोही में कई पद रिक्त हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन अब उक्त पदों को अन्य जिलों में समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के

2

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अभ्यावेदन के निपटारे के लिए अपनी प्रार्थना को उसी रूप में सीमित रखते हैं जैसा कि दिनांक 18.09.2025 जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता के लिए जिला मजिस्ट्रेट, भदोही से संपर्क करना हमेशा खुला है।
5. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रत्यर्था के समक्ष प्रस्तुत करे। तीसरे प्रत्यर्था को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय दृढ़तापूर्वक विधि के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने की तिथि से दो महीने के भीतर करना होगा। यदि तीसरे प्रत्यर्थी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थीगण से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

7. उपरोक्त संप्रेक्षण के आधार पर, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

13 फरवरी, 2026

एन०एस०राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"